सार-समाचार

गीतों से स्वरांजली दी

अजमेर, (कासं)। महान गायक मुकेश की पुण्य स्मृति पर इण्डिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसायटी ने नसीराबाद रोड स्थितमुकुंद गार्डन में फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की पुण्यतिथि के साथ साथ सपन चक्रवती और सावनकुमार टाक और आनंदजी को भी उनके संगीत सयोंजन में मुकेश कुमार के गाए गीतों से याद किया। सोसायटी के डॉ लाल थदानी ने बताया कि सदस्यों ने मिले सुर मेरा तुम्हारा की परंपरा को बढ़ाते हुए संगीत की महफ़िल में स्वरांजली देते हुए सभी गायकों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय, स्तरीय, कर्णप्रीय रही जिनमें शकील खान और कमरजहॉ मेरा प्यार भी तू यह बहार भी तू है, (युगल गीत), रश्मि मिश्रा मुबारक हो सबको समां ये सुहाना फरहान और देवी सिंह कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, योगेश गौर झूमती चली हवा याद आ गया कोई, रजनीश मैसी तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, कुंजबिहारीलाल ने वंदना मिश्रा के साथ तेरे होठो के दो फूल प्यारे प्यारे और उषा मित्तल के साथ युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेगें, डॉ लाल थदानी मैं ढूंढता हूं जिनको ख्वाबों में डॉ और गीतांजली के साथ क्या खूब लगती हो युगल गीत गाकर प्रभावित किया, वी के पाठक हमने तुझसे प्यार किया है जितना, निर्मल सिंह परिहार डम डम डीगा डीगा, डॉ विकास मनीषा सक्सेना किसी राह में किसी मोड़ पर, और रेखा मित्तल के साथ सुहाना सफर और ये मौसम हसीं युगल गीत गाया। नीरज मिश्रा मेरी तम्मनाओं की तकदीर तुम संवार दो, , राकेश परिहार वक्त करता जो बफा, जॉन जाने कहाँ गये वो दिन कहते थे तेरी ने तालियां बटोरी। अजय कुलश्रेष्ठ, समीर गर्ग विजय शर्मा सरला और भारती नंदी ने सबका स्वागत किया । कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने मुकेश रफी लता का कोरस गीत ''रमैया वस्तावैया'' गाकर कार्यक्रम का समापन किया।

एसडीएम को ज्ञापन दिया

मांडलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र की माँगठला पँचायत के माधोपुरा गाँव की सरहद में स्थित चारागाह भूमि पर कच्चा व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है।अतिक्रमियों की दबंगई की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंप पर तत्काल अतिक्रमण हटाने की माँग की हैं। मांडलगढ़ के माँगठला पँचायत के माधोपुरा निवासी नंदलाल गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा एसडीएम नेहा छीपा को दिए गए ज्ञापन में बताया कि निकट के गाँव दल सिंह जी का खेड़ा के बदमाश लोग माधोपुरा की चारागाह पर अतिक्रमण कर रहे है।अतिक्रमियों द्वारा खाई खोद कर,फसल बुवाई कर,तारबंदी लगा कर तथा कई जनों ने पक्के निर्माण भी कर लिए है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 200 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने से किसानों व ग्रामीणोंको मवेशीयों की घास चराई एवं विचरण कराने में समस्या उतपन्न हो गई हैं। ग्रामीणो ने एक बार ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाने के लिए पहल की।लेकिन अतिक्रमियों ने हमला करने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी।ज्ञापन में बताया कि चारागाह भूमि से प्रशासन द्वारा शीघ्र ही अतिक्रमियों को बेदखल नहीं किया गया तो दोनों गाँवो के ग्रामीणों के बीच झगड़ा होने की नोबत आ सकती हैं। उक्त समस्या को लेकर उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए है।

फांसी लगाकर की आत्महत्या

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)। सरवाडी गेट के पास नायको का मोहल्ला में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक नायकों का मोहल्ला निवासी जीवनराम प्रजापत (52) पुत्र छीतरमल है। किशनगढ़ सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजनों ने दु:खद घडी में जरूरतमंद को नेत्र ज्योति उपलब्ध कराने के उदेश्य को लेकर नेत्रदान कराया। भारत विकास परिषद के प्रकल्प प्रभारी जिनेश जैन ने बताया की जीवनराम प्रजापत के निधन पर परिवार के मुकेश, गोपाल लाल, दिनेश, शिवजीराम, कानाराम, रामेश्वर, रजनीश शर्मा, शंकर शर्मा, नंदलाल सरपंच, बालचंद प्रजापत, हिमांशु टाक, कैलाश प्रजापत आदि मौजूद रहे। नेत्रदान की प्रक्रिया आई बैंक सोसाइटी के भरत शर्मा एवं कुलदीप शर्मा ने संपन्न कराई। भाविप की और से राजकुमार जैन, जिनेश जैन, सरस्वती मुंदड़ा ने सहयोग किया।

शिक्षकों की कमी के विरोध में टायर जलाकर किया प्रदर्शन

भीलवाड़ा, (निसं)।। जिले के कोटडी क्षेत्र की गेहूली ग्राम पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय और शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत लसाड़िया के हायर सैंकडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर विद्यार्थियों ने आज सुबह से ही स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

आज से ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, इससे पूर्व गेहुली में शिक्षक के तबादले से नाराज छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार ताला जड़कर रास्ता जाम कर दिया तथा टायर जलाकर प्रदर्शन किया। अध्यापक पुर्ण सिंह कानावत का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठोसर (सहाडा) में किया गया, जिसकी जानकारी आज छात्र छात्राओं को मिली तो छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी करते हुए, गेहुली चौराहे पर कोटडी-काछोला मार्ग को जाम करते हुए, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है।

छात्र-छात्राएं अध्यापक कानावत का तबादला निरस्त कराने की बात को लेकर प्रदर्शन किया। तहसीलदार रामजी लाल ने बताया की मौके पर पहुंच अक्रोशित विद्यार्थियों से समझाइश का अध्यापको की कमी दूर करने का आश्वासन दे मामला शांत करवाया।

वही शाहपुरा क्षेत्र के लसाडिया स्कूल के विद्यार्थियों का आरोप है कि 13 शिक्षकों की कमी के कारण अध्ययन तक शुरू नहीं हो पाया है अगले माह परीक्षा कैसे देगें। वर्तमान में प्रधानाचार्य सहित 13 पद रिक्त होने के बाद भी शिक्षा विभाग सुनवायी नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों की इस मांग से सरपंच कांता मीणा ने गत दिनों शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया था पर समाधान नहीं हो पाया है। विद्यार्थी भोलूराम गोस्वामी ने बताया कि गणित, सामाजिक, विज्ञान सहित कई विषयों में अध्यापक है ही नहीं। पढ़ाई हो नहीं रही। स्कूल की छत बारिश के बाद से लगातार चू रही है। कक्षाओं में बैठना संभव नहीं हो रहा है।

ग्रामीण आलिंपक खेलों में बडे विद्यार्थियों का पंजीयन हीं नहीं कराया है। खेल मैदान ही तैयार नहीं कराये है। वहां पर आज भी बबूल उग रहे है। ग्रामीण ओलंपिक खेल भी नहीं हो रहे है। किसी को कोई परवाह नहीं है। बडे अधिकारी नहीं सुनते है तो सरकार की सभी योजनाएं बेकार साबित हो रही है। पूर्व सरपंच संजय कुमार ने बताया कि तालाबंदी की सूचना शिक्षा विभाग के साथ पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों को दी है। ग्राम पंचायत से दो पंचायत सहायकों को अतिरिक्त लगाया गया है पर शिक्षकों की कमी के कारण अध्यापन न होने से परेशान ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर दी है।

अस्पताल की रखी नींव, किया पूजन

नागौर, (निसं)। सैनिक क्षित्रय माली संस्थान, नागौर द्वारा शिक्षा, सामूहिक विवाह व चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक वर्षों से कार्य किए जा रहे हैं। समाज बंधुओं द्वारा एक संपूर्ण सुविधा युक्त चिकित्सालय का निर्माण प्रस्तावित है जिसका नींव का मुहूर्त माली समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा सोमवार को किया गया। समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप पंवार ने बताया कि सभी गणमान्य समाज बंधुओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। हैदराबाद प्रवासी व ताऊसर निवासी तथा माली समाज हैदराबाद के पूर्व अध्यक्ष बलदेव राम भाटी के मुख्य आतिथ्य में विधि विधान से नींव का मुहूर्त किया गया। इस अवसर पर नागौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नरेंद्र कच्छावा, पूर्व उप प्रधान आईदान राम भाटी, जगदीश सांखला, डॉ शंकर लाल परिहार, मोहब्बत राम पंवार, सुरेश सोलंकी, रामकुमार भाटी, अमरपुरा संस्थान के कोषाध्यक्ष कमल भाटी भी उपस्थित थे।

'प्राणदान की प्रक्रिया है सीपीआर'

अजमेर, (कासं)। भारत में एक लाख व्यक्तियों में से चार हजार से ज्यादा लोगों की आकस्मिक मृत्यु समय पर सीपीआर न देने के कारण हो जाती है। विधिवत जानकारी एवं प्रशिक्षण के अभाव में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को असहाय पाता है एवं अपने प्रिय की जान गंवा बैठता है।

कार्डियक अरेस्ट आने के चार मिनट के अंदर यदि सही तरीके से सीपीआर दे दी जाए तो मरीज की जान भी बच जा सकती है , किंतु देरी होने से ब्रेनडेड होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। उक्त जानकारी जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य नि:श्चेतना डॉ अरविन्द खरे ने महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में छात्रों एवं स्टाफ के लिए आयोजित सीपीआर प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षण देते हुए व्यक्त किए। उन्होंने छात्रों को हार्ट अटैक एवं कार्डियक अरेस्ट के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि प्रारंभिक क्षणों में हम सीपीआर की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए किसी को प्राण दान देते हैं , तो यह मानवोचित व्यवहार ईश्वर की सेवा करना होता है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि.अ./22-23/एम.बी./581 दिनांक: 29-8-2022

आपति सूचना

श्री प्रदीप जेठानी पुत्र श्री छगोमल जेठानी निवासी 253 साकेत कॉलोनी आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड संख्या ए-94 मान सरोवर कॉलोनी आनासागर सरक्यूलर रोड अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 250.09 व.मी है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - भूखण्ड संख्या ए-95 पश्चिम - भूखण्ड संख्या ए 93

उत्तर - भूखण्ड संख्या ए 90 व ए 91 दक्षिण - 100 फिट चौड़ा रास्ता है।

अत: जरिए इस सूचना के सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका, आसीन्द जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक न.पा.आ./भू.शा./2022-23/3574 दि. 27.08.2022

प्रारूप-5 (नियम (2) देखिए)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के अधीन नीचे वर्णित निम्नांकित आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि में अपने अधिकार आवासीय/व्यवसायिक पट्टा प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका आसीन्द के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

क्र स	नाम	पता	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (वर्गफिट में)
1	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि प्रकाश खटीक	वार्ड नं. 09 नेगड़िया रोड आसीन्द	कृषि भूमि	रास्ता	सन्तोक खटीक का मकान	अजीज मो. का मकान	1000

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा/ निस्तारण किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आसीन्द

Name Change

I have changed my name from Gul Munavvar Khan to New name Gul Munawar Khan.I shall be known by my New name in future for all purpose.Gul Munawar Khan S/O Mohammed Yusuf Khan Add. - Gagwana (Ajmer)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक : अविप्रा/प.3/भू.उ.परि/2021/228/2312 दिनांक 29.8.22

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक पं. 11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.2.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-1) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्रीमती प्रेमलता गौड पत्नी श्री सुभाष गौड	हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य	भूखण्ड संख्या B-06	175.50 वर्गमीटर	मिश्रित	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा

सदस्य सचिव, (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-26 क्षेत्रफल 175.50 वर्गमीटर के आवंटी/अन्तरिति श्री स्व. बंशीलाल शर्मा (नवहाल) पुत्र श्री स्व. मांगीलाल जी निवासी 533/40 होलीदड़ा लक्ष्मी चौक अजमेर की मृत्यु दिनांक 14/7/2009 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश: (1) शांति देवी (पत्नि) (2) विष्णु कान्ता (पुत्री) (3) गोविन्द शर्मा (4) अशोक शर्मा पुत्र स्व. श्री बंशीलाल शर्मा (5) श्रीमती चन्द्रा शर्मा पत्नि स्व. श्री बृजमोहन शर्मा (पुत्र वधु) स्व. श्री बंशीलाल शर्मा (6) केशव शर्मा (नाबालिग) पोता स्व. श्री बंशीलाल शर्मा निवासी 533/40 होलीदड़ा, लक्ष्मी चौक, अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व. श्री बंशीलाल शर्मा (नवहाल) निवासी 533/40 होलीदड़ा, लक्ष्मी चौक, अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिं. 17-10-2019 व 25-8-2022 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक : अविप्रा/प.3/भू.उ.परि/2022/228/2311 दिनांक 29.8.22

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक पं. 11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.2.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-1) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्री शिखर चन्द जैन पुत्र श्री रोशनलाल जी जैन	बी.के. कौल नगर	भूखण्ड संख्या 667	294.00 वर्गमीटर	मिश्रित	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा

सदस्य सचिव, (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि.अ./22-23/एम.बी./1222 दिनांक: 29-8-2022

आपति सूचना

श्रीमति मधु चौहान पत्नी श्री रमेश चौहान निवासी सात पीपली बालाजी मंदिर के सामने शिव नगर बालाजी ट्रेडर्स बिहारी गंज, अजमेर द्वारा एक सम्पति जो थोक मालियान तृतीय के 8155 की भूमि में से विखडित भूमि का एक भाग है जो वार्के बालाजी मंदिर के पास बिहारीगंज, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 124.85 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - मुख्य नसीराबाद रोड पश्चिम - नाला

उत्तर - श्री शैलेश गोरा की जायदाद दक्षिण - पुरूषोतम की जायदाद

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, जहाजपुर जिला - भीलवाडा

E-Mail: mbjahazpur@gmail.com Contact : 01485-230101

क्रमांक नपाज/2022-23/762 दिनांक : 29-08-2022

उजरदारी सूचना

एदत् द्वारा सार्वजनिक उजरदारी सूचना जारी की जाती है कि नगर पालिका जहाजपुर मे नीचे अंकित आवेदक अपनी क्रय शुदा सम्पति जो कि नगर पालिका क्षेत्र जहाजपुर में स्थित है का नामान्तरण/निर्माण स्वीकृती स्वयं के नाम से जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	स्थान	पडौस	प्रयोजनार्थ
1.	श्री राजकुमार पिता विश्वराम जाट निवासी ग्राम गुलाबपुरा तह. जहाजपुर (भील.)	चावंडिया जहाजपुर स्थित भूखण्ड जिसका नाप = 54X44= 2376वर्गफिट में से 1/2 हिस्सा यानि 1188 वर्गफिट, 132 वर्गफिट	भूखण्ड के पडौस निम्न प्रकार है- पूर्व - आम रास्ता पश्चिम - नारायण बारेठ की भूमि वर्तमान में उसके पुत्र बजरंग बारेठ के कब्जे में है। उत्तर - नाला व रास्ता दक्षिण - नारायण बारेठ की भूमि वर्तमान में उसके पुत्र बजरंग बारेठ के कब्जे में है।	आवासीय मकान निर्माण स्वीकृति
2.	श्री राजकुमार पिता विश्वराम जाट निवासी ग्राम गुलाबपुरा तह. जहाजपुर (भील.)	चावंडिया जहाजपुर स्थित भूखण्ड जिसका नाप = 54X44= 2376वर्गफिट में से 1/2 हिस्सा यानि 1188 वर्गफिट, 132 वर्गफिट	भूखण्ड के पडौस निम्न प्रकार है- पूर्व - आम रास्ता पश्चिम - नारायण बारेठ की भूमि वर्तमान में उसके पुत्र बजरंग बारेठ के कब्जे में है। उत्तर - नाला व रास्ता दक्षिण - नारायण बारेठ की भूमि वर्तमान में उसके पुत्र बजरंग बारेठ के कब्जे में है।	आवासीय मकान निर्माण स्वीकृति

उक्त नामान्तरण/निमार्ण स्वीकृति हेतु आवेदक के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/वारिसान को कोई आपति हो तो उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक के 7 दिवस के भीतर-भीतर मय दस्तावेजो के लिखित रूप में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद उक्त सम्बन्ध मे कोई आपति मान्य नही होगी व आवेदक के पक्ष मे नामान्तरण/निर्माण स्वीकृति जारी की जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जहाजपुर

कार्यक्रमों में कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की हो रही उपेक्षा

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व कांठोस पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि यहां के प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनवाई नही करते ओर यहां तक कि जिला प्रशासन द्वारा जन-चेतना से जुडे कार्यक्रमों में कांग्रेसी पदाधिकारियों व जिला अध्यक्ष की उपेक्षा की जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस संगठन एवं उसके पदाधिकारियों की विगत लंबे समय से जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है तथा ऐसा कृत्य जिला प्रशासन द्वारा भाजपा के विधायकों के दबाव में किया जा रहा है। जो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय उचित नहीं है।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष व कांठोस के पदाधिकारियों की आज के कार्यक्रम में की गई उपेक्षा को लेकर कांग्रेसी नेता व पार्षद श्याम प्रजापति, पार्षद सुनिल धानका, नरेश सत्यावना, मनीष सेठी व कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष कैलाश कोमल सहित अन्य कांग्रेसियों ने इस घटना की कड़े शब्दो में निदां की।

सीएम अशोक गहलोत को लिखे पत्र में कांग्रेसियों ने बताया कि आप द्वारा समय-समय पर सरकार के जनहित, जनचेतना कार्यक्रमों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को सक्रियता के साथ शामिल होने के लिये निर्देशित किया जाता रहा है, किंतु जिला प्रशासन अजमेर द्वारा निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों में संगठन पदाधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है। कांठोसियों ने यह भी बताया कि अगर हम जनसमस्याएं लेकर जाते उन्हें भी नही सुना जाता है।

संपूर्ण राजस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में कायड़ स्थित विश्राम स्थली में देश भक्ति के गीत गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर में भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त, जिलाधीश एवं जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी इसमें शामिल थे, लेकिन जन चेतना के उक्त कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा कॉन्ठोस के पदाधिकारियों एवं शहर अध्यक्ष की अनदेखी जानबूझकर की गई।

गत दिनों 15 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह अजमेर में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवियों इत्यादि सभी को प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया। किंतु इस कार्यक्रम में भी कांठोस के शहर अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की प्रशासन द्वारा जानबूझकर उपेक्षा की गई।

26 अगस्त 2022 को राजस्थान प्रदेश कांठोस कमेटी की ओर से अजमेर जिला शहर कांठोस कमेटी को निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में शहर एवं जिला अध्यक्ष प्रमुखता से शामिल होकर राज्य की जनता में खेलों के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करें। किंतु जिला प्रशासन द्वारा उक्त खेल-आयोजन में भी अधो हस्ताक्षर कर्ता की उपेक्षा करते हुए उसे कार्यक्रम से दूर रखा गया।

29 अगस्त 2022 को भी राज्य सरकार की ओर से नव स्थापित अंठोजी माध्यम स्कूल विवेकानंद स्कूल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में आयोजित किए जाने वाले राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय एवं आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ प्रमुख रूप से मौजूद थे। किंतु उक्त कार्यक्रम में भी कांठोस शहर अध्यक्ष को जानबूझकर उपेक्षित रखा गया। समारोह में आमंत्रित नहीं होने के कारण अधो हस्ताक्षरकर्ता मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय एवं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मुलाकात कर समारोह का अघोषित बहिष्कार कर लौट आए।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

क्रमांक - कृउमस-मदनगंज किशनगढ़ /आवंटन/मदनगंज किशनगढ़ /2022-23/474-504 दिनांक- 29/08/2022

संशोधित आवंटन सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ़ के आवंटन सूचना क्रमांक 330-59 दिनांक 21.07.2022 द्वारा निर्मित रिक्त दुकानों/चिन्हित रिक्त भूखण्डों/रिक्त सामन्य गोदामों के भूखण्डों/निर्मित ग्रामीण गोदाम एवं वेयर हाऊस कोल्ड स्टोरेज हेतु चिन्हित रिक्त भूखण्डों का अचल सम्पत्ति आवंटन नीति-2005 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अन्तर्गत द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में 99 वर्षीय लीज पर आवंटन हेतु समाचार पत्रों के अजमेर संस्करण में दिनांक 22.07.2022 को प्रकाशित आवंटन सूचना में मुख्य मण्डी प्रांगण के ब्लॉक E व F तथा फल-सब्जी गौण मण्डी के ब्लॉक H में अनुज्ञापत्रधारी वन उपज/औषधीय पादप/जड़ी बूटियों के व्यवसायियों तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिला कृषकों हेतु आरक्षित दुकान/भूखण्ड की सूचना का प्रकाशन नहीं होना पाया गया है उक्त क्रम में संशोधित आवंटन विज्ञप्ति निम्नानुसार है -

भूखण्डों का प्रयोजन	मुख्य मण्डी प्रांगण /गौण मण्डी प्रांगण	रिक्त दुकान/गोदाम/भूखण्ड का विवरण	ब्लॉक	संख्या	साईज	अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों हेतु भूखण्डों की संख्या: अनुज्ञापत्र धारी व्यापारी – सामान्य	नि:शक्तजन	मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्र धारी तेल मिल व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाइयां – सामान्य	नि:शक्तजन	अनुज्ञापत्रधारी वन उपज/औषधि पादप/जड़ी बूटियों के व्यवसाईयों – सामान्य	नि:शक्तजन	कृषक महिलाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या: सामान्य वर्ग महिला – सामान्य	नि:शक्तजन	विधवा महिला	एस.सी. वर्ग महिला – सामान्य	नि:शक्तजन	विधवा महिला	एस.टी. वर्ग महिला – सामान्य	नि:शक्तजन	विधवा महिला	जैविक खेती के उत्पादक कृषकों हेतु भूखण्डों की संख्या – सामान्य	नि:शक्तजन	पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी हेतु भूखण्डों की संख्या	आवंटन दर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अधिसूचित कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय हेतु	मुख्य मण्डी प्रांगण मदनगंज-किशनगढ़	गोदाम मय प्लेटफार्म (रिक्त भूखण्ड)	E	E-21 से E-40 (20 भूखण्ड)	10'X37'6"	11	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवंटन दिनांक को प्रभावी व्यवसायिक डी.एल.सी. दर का 50%
	गौण मण्डी प्रांगण (फल-सब्जी)	दुकान मय प्लेटफार्म (रिक्त भूखण्ड)	F	F-21 से F-28 (8 भूखण्ड)	16'6'X'58'9'	2	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	
	मुख्य मण्डी प्रांगण मदनगंज-किशनगढ़	दुकान मय प्लेटफार्म (रिक्त भूखण्ड)	H	H-01 से H-20 (20 भूखण्ड)	10"2'X'36	11	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	

अत: उक्त संशोधित विज्ञप्ति के क्र म में अनुज्ञापत्रधारी वन उपज/औषधीय पादप/जड़ी बूटियों के व्यवसाइयों तथा अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग के समस्त हितबद्ध पात्र फर्मो/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन हेतु आवेदन पत्र शुल्क 500/- रूपये कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज-किशनगढ़ में नकद जमा करवाकर दिनांक 30 08.2022 से कार्यालय समय में मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र भरकर सचिव कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ़ के नाम से देय धरोहर राशि 20000/- रूपये का बैंकर्स चैक/डी.डी. सलग्न कर कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगज किशनगढ़ के कार्यालय में दिनांक 13.09.2022 को दोपहर 02 00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है। बिना धरोहर राशि के आवेदन फार्म मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिला कृषकों को द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों के आवंटन हेतु आरक्षित दर (आवंटन तिथि को प्रभावी व्यावसायिक डी.एल.सी, दर का 50%) में 25% की छूट दी जावेगी।

शेष शर्ते व ले-आउट प्लान मण्डी समिति मदनगज किशनगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है एवं विभागीय पोर्टल https://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
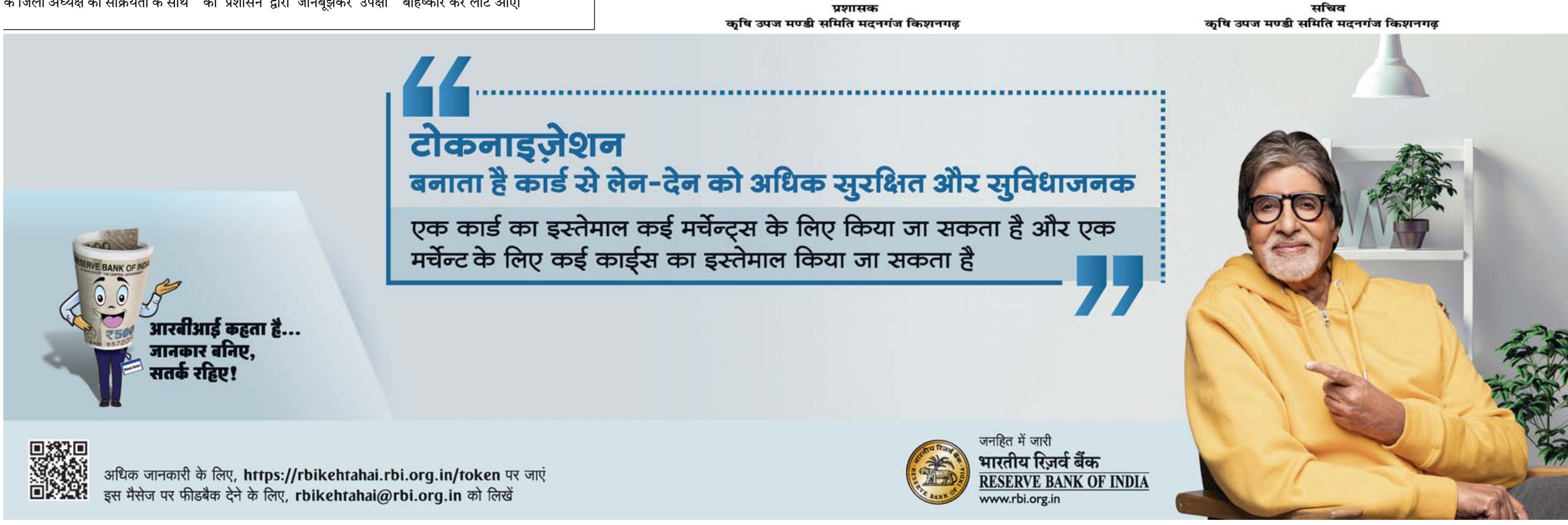
प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ़ — सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ़